



न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.
PBR/किंगरानी/कायस्ट/श्री/रा/२०१८/।।।३।।

पुनरीक्षण आवेदन क्रमांक/2017-18

की. शुभ रसन छोगे बीबीपच
२०१८-।।-२-१८ वा
छत्तीर पट्टा
B
।।-२-१८

1. देवकी बाई विधवा बुलाखीचंद आयु लगभग 70 चर्ष
2. मुकेश पुत्र बुलाखीचंद आयु व्यस्क
3. राकेश पुत्र बुलाखीचंद आयु व्यस्क
4. राजेश पुत्र बुलाखीचंद आयु व्यस्क
5. क्रान्ति बाई वेवा रमेशचंद आयु व्यस्क
6. विता पुत्री रमेशचंद आयु व्यस्क रामरत्न निवासीण करखा रायसेन तहसील व जिला रायसेन म.प्र.

आवेदकगण/पुनरीक्षणकर्तागण

विरुद्ध

1. बुद्धसेन जैन आत्मज श्री धन्नालाल जैन आयु व्यस्क धंधा दुकानदारी गि. गंज बाजार रायसेन तहसील व जिला रायसेन
2. श्रीमती शुमलेश जैन पत्नी श्री बुद्ध सिंह जैन गि.गंज बाजार रायसेन तहसील व जिला रायसेन म.प्र
3. म.प्र.शासन द्वारा तहसीलदार रायसेन जिला रायसेन ----- अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भ.रा.सं

माननीय महोदय

आवेदकगण/पुनरीक्षणकर्ताओं की ओर से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसेन द्वारा पारित नामांतरण आदेश प्रकरण क्रमांक 243।-6/2016-17 शुमलेश जैन, बुद्धसेन जैन विरुद्ध रार्व साधारण में पारित आदेश दिनांक 04.12.2017 से परिवेदित एवं दुखित होकर उचित सम्यावधि में ठोस तथ्यों एवं विधिक आधारों पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है।

[Signature]

(14)

(24)

(15)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PB/1/भा/रायपुर/भ२ग/18/113। भाग-अ

देवकी वार्षु विरुद्ध उद्दिष्ट तहसील जिला रायपुर

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. के विरुद्ध श्री रुम्मन देवकी वार्षु के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/..... रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।	27/2/18 रायपुर रायपुर	
27-2-18 ८)	आवेदक पक्ष सूचना उपरांत अनुपासित। आवेदक पक्ष को तीन बार घुकार भगवाई गई। परन्तु उनकी ओर तेजी से उपासित नहीं हुआ। इकलौ आवेदक पक्ष के सूचना उपरांत अनुपासित रहने के काल आदम खारकी में रखार ज किया जाता है।	अद्यपद [पीछे देखिये]